राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1259 / 2023

राकेश सोनी

—अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.04.2023

आदेश की दिनांक : 04.05.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : स्वयं अपीलार्थी।

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिशाषी अभियंता के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने संशाधित कॉज टाइटल पेश किया, जो रिकॉर्ड पर लिया जाता है। अपीलार्थी यह अपील प्रत्यर्थी संख्या—4 बसंत कुमार आचार्य के नियुक्ति आदेश दिनांक 07.08.1991 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि बसंत कुमार आचार्य नियुक्ति हेतु पात्र नहीं रखते थे और उन्हें गलत एवं अवैध रूप से नियुति प्रदान की गई। ऐसे में श्री बसंत कुमार आचार्य की नियुक्ति निरस्त की जाये। अपीलार्थी से पूछा गया कि वो श्री बसंत कुमार आचार्य की नियुक्ति को किस प्रकार से प्रभावित है, तो उन्होंने तर्क दिया है कि श्री बसंत कुमार आचार्य उनसे उच्च्य पद पर कार्यरत है, इस कारण उनकी पदोन्नति का एक पद श्री बसंत कुमार आचार्य ने धारण कर रखा है।
2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने इस प्रकरण में श्री बसंत कुमार आचार्य का नियुक्ति आदेश दिनांक 17.08.1991 को चुनौती दी है एवं यह अपील अपीलार्थी ने करीब 32 वर्ष पश्चात पेश किया है। राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामले में अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 में

इस अधिकरण के समक्ष आने वाले सर्विस मेटर को परिभाषित कर रखा है। जिसकी परिभाषा धारा एक्ट–2 में दी गई है, जो निम्न प्रकार है :–

> 2(f) "Service matter" means any one or more than one of the following matters relating to a Government Servant:-
> (i) Seniority; (ii) Promotion; (iii) Confirmation; (iv) Fixation of pay; (v) An order denying or varying pay, allowances, pension and other service conditions to the disadvantage of a Government Servant, other-wise than as a penalty; (vi) Cases of reversion while officiating in a higher service, grade or post to lower service, grade or post other-wise than as a penalty; (vii) Withholding the pension or denying the maximum pension other-wise than as the penalty; (viii) Transfer from one place/post to another place/post. (ix) Any other matter notified by the Government

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि नियुक्ति के संबंध में विवाद का क्षेत्राधिकार इस अधिकरण को नहीं है। स्पष्ट रूप से इस प्रकरण में नियुक्ति को चुनौती दी गई है। जो इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

3. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)